(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गौरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	33 / 2022
दायर दिनांक	:	04.05.2022
निर्णय दिनांक	:	07.02.2023

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रलावता तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
2. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम रलावता तहसील दौसा जिला दौसा का निवासी है। ग्राम रलावता तहसील दौसा जिला दौसा की राजस्व सीमा में आराजी खाता संख्या 171 नया व पुराना 37 की खसरा नम्बर 255 लगायत 260, 265 लगायत 268, 274 कुल किता 11 कुल रकबा 1.5100 है॰ एवं खाता संख्या 37 नया व पुराना 37 की खसरा नम्बर 226, 451, 452, 708 लगायत 710, 950, 951 कुल किता 8 कुल रकबा 2.5700 है॰ एवं खाता संख्या 17 नया व पुराना 17 की खसरा नम्बर 712 रकबा 1.2600 है॰, खाता संख्या 33 नया पुराना 33 की खसरा नम्बर 539 रकबा 0.0500 है॰, खाता संख्या 36 नया पुराना 36 की खसरा नम्बर 533 लगायत 538 कुल किता 6 कुल रकबा 2.35 है॰, खाता संख्या 84 नया पुराना 84 की खसरा नम्बर 399 रकबा 0.11 है॰, खाता संख्या 38 नया व पुराना 38 की खसरा नम्बर 542, 584 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है॰, खाता संख्या 39 नया पुराना 39 की खसरा नम्बर 795, 887, 888 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है॰, खाता संख्या 102 नया पुराना 102 की खसरा नम्बर 771, 775, 780, 784, 786, 828, 829, 977, 993 कुल किता 9 कुल रकबा 3.45 है॰ खाता संख्या 54 नया पुराना 54 की खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0600 है॰, खाता संख्या 151 नया पुराना 151 की खसरा नम्बर 477, 481, 494 लगायत 500 कुल किता 9 कुल रकबा 0.03 है॰, खाता संख्या 152 नया पुराना 152 की खसरा नम्बर 446 लगायत 448, 455, 456, 459, 460, 462 लगायत 469, 476, 478, 479, 480, 482 लगायत 493, 501, 782 कुल किता 33 कुल रकवा 5.76 है॰ स्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अन्य जमाबंदी में दर्ज सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता चन्द्रा के स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम खुलकर खातेदारी दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी के पिता चन्द्रा का देहान्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर प्रार्थी के नाम उक्त आराजी का नामान्तकरण खोला गया जिसमें प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामचन्द्र के बजाय रामजीलाल अंकित करते हुए खोला जाकर गलत एवं अशुद्ध अंकन कर दिया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर अशुद्ध व गलत अंकित करते हुए रामजीलाल अंकित कर दिया गया।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा

प्रार्थी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुयी है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामचन्द्र है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामजीलाल इन्द्राज है जिसे प्रार्थी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर दुरुस्त कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम रामचन्द्र पुत्र चन्द्रा है जिसका प्रमाण यह है कि प्रार्थी के सभी रिकॉर्डेड दस्तावेजात् जिनमें प्रार्थी का भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राजस्थान सरकार द्वारा जारी जनआधार, पैनकार्ड, प्रार्थी रेल्वे विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है, जिसके पेंशन भुगतान आदेश व सर्विस रिकॉर्ड आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का वास्तविक नाम रामचन्द्र अंकित है। अतः डिक्री दुरुस्ती इन्द्राज बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण पारित फरमाते हुए ग्राम रलावता तहसील दौसा जिला दौसा की राजस्व सीमा में स्थित उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर जो प्रार्थी का नाम रामजीलाल अशुद्ध दर्ज हो रहा है, उसे दुरुस्त फरमाते हुए रामजीलाल के स्थान पर रामचन्द्र अंकित करते हुए इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार दौसा से जवाब चाहा गया। पैरोकार सरकार/तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रलावता के खाता संख्या 171 कुल किता 11 कुल रकबा 1.51 है०, खाता संख्या 37 कुल किता 8 कुल रकबा 2.57 है०, खाता संख्या 17 कुल किता 1 कुल रकबा 1.26 है०, खाता संख्या 33 कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 है०, खाता संख्या 36 कुल किता 6 कुल रकबा 2.35 है०, खाता संख्या 84 कुल किता 1 कुल रकबा 0.11 है०, खाता संख्या 38 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है०, खाता संख्या 39 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है०, खाता संख्या 102 कुल किता 9 कुल रकबा 3.45 है०, खाता संख्या 54 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 है०, खाता संख्या 151 कुल किता 9 कुल रकबा 3.03 है०, खाता संख्या 152 कुल किता 33 कुल रकबा 5.76 है० राजस्व रिकॉर्ड में रामजीलाल पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर एवं सहखातेदारान के नाम दर्ज है। मजमेआम में जानकारी करने पर रामचन्द्र पुत्र चन्द्रा एवं रामजीलाल पुत्र चन्द्रा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना पाया गया। सहखातेदारों को सुना जाकर शुद्धि किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ग्राम रलावता तहसील दौसा स्थित अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रामजीलाल के स्थान पर रामचन्द्र करवाना चाहता है, जिसे तहसीलदार दौसा ने भी अपनी रिपोर्ट में उचित माना है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पीपीओ एवं सेवा प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम रामचन्द्र दर्ज है। प्रार्थी ने अपने नाम की शुद्धि वावत् सहमति के रूप में सहखातेदार राजली देवी पत्नी खैराम जाति गुर्जर, गिर्राज पुत्र खैराम जाति गुर्जर, कजोड पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट, उपलब्ध दस्तावेजात् एवं सहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम रलावता तहसील दौसा स्थित खाता संख्या नया 171, 37, 17, 33, 36, 84, 38, 39, 102, 54, 151 व 152 से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामजीलाल पुत्र चन्द्रा के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र चन्द्रा दर्ज किया जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)